ACM आमेर (ग्रा.) जयपुर

फर्द अहकाम

चन्दा बनाम सरकार

लय

22/22 धारा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे
13/2/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। पूर्ववत् बहस हेतु दिनांक 24/2/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर म., जयपुर	
24/2/25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली ... आदेश 13/2/25 अनुसार आगामी ... दिनांक 18/3/2025 को पेश हो।	
18/3/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/3/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
27/3/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। ~~वादी~~ तनकी संख्या 1 ता 6 वादी के विरुद्ध साबित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर म., जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:34:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –22/2022 वाद प्रस्तुति दिनांक –02.02.2022

1. चंदा पुत्र नाथू
2. कैलाश पुत्र नाथू
3. शिशुपाल पुत्र बिरदा पौत्र नाथू

समस्त 01 लगायत 03 जाति जाट, निवासी – ग्राम महेशपुरा रावान, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

---- वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक, तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह जी वाके विराजमान ग्राम महेशपुरा रावान, तहसील आमेर, जिला जयपुर शाश्वत नाबालिग जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

---- प्रतिवादीगण

दावा उदघोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

श्री प्रभु सिंह राजावत – अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय **दिनांक 27.03.2025**

वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम महेशपुरा, पटवार हल्का जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 316 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 317 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 327 रकबा 0.15 हैक्टेयर व खसरा नंबर 328 रकबा 1.86 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर स्थित है। जो साबिक सर्वे संवत 2010–23 के साबिक खसरा नंबर 115 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा से बने है जो इस वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी है। साबिक खसरा नंबर 115 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में मोहनलाल पि.मु. भूरा कौम ब्राहम्ण के नाम अंतिम जमाबंदी में दर्ज थी, वादीगण ने खातेदार मोहनलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1981 द्वारा प्रतिफल राशि अदा कर [illegible] कर लिया जो विक्रय पत्र उप–पंजीयक आमेर जिला जयपुर के कार्यालय [illegible] 18.06.1981 को बुक संख्या 01 जिल्द संख्या 88 पृष्ठ संख्या 247 [illegible] संख्या 28 [illegible] पंजीबद्ध है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की पालना में मौका व कब्जा [illegible] नामांतरण संख्या 76 दिनांक 16.07.1981 को स्वीकृत किया जाकर [illegible] राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किया गया तथा वादीगण तीन अलग–अलग परिवार वादग्रस्त आराजी पर पुख्ता आवासीय मकानात् पशुबाड, कुएं, बोरिंग, विद्युत कनेक्शन द्वारा भूमि को विकसित कर साधिकार बिना किसी बाधा व रूकावट के काबिज काश्त चले आ रहे हैं, जो वादग्रस्त आराजी से प्राप्त कृषि उपज से अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहे हैं। हाल भू–प्रबंध सर्वे में साबिक खसरा नंबर 115 से हाल खसरा नंबर 316, 317, 327 व 328 कायम किये गये है जो दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही क्षेत्राधिकार विहीन कार्यवाही करते हुये वादग्रस्त आराजी को बिना किसी सक्षम न्यायालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:34:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

निर्णय व डिक्री के मनमर्जी पूर्वक माफी मंदिर श्री नृसिंह जी बेएतमात पुजारी भूरा के नाम गलत दर्ज कर दी। जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा न्यायालय सहायक भू-प्रबंध अधिकारी आमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 318/1989 प्रस्तुत किया जो बाद जांच दस्तावेजात, कब्जा, राजस्व रिकॉर्ड व न्यायिक प्रावधानों के तहत स्वीकार होकर दिनांक 17.10.1989 को आदेश हुआ कि "सबूत में प्रार्थीगण ने नकल खतौनी संवत 2021–2037 प्रस्तुत कि है नकल विक्रय पत्र की फोटोस्टेट प्रति व नामांकरण की फोटोस्टेट कॉपी, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2042–45 प्रस्तुत की है जिसमें यह भूमि भूरा पु. मोहनलाल के नाम खातेदारी अंकित है विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि अंकित थी व बंदोबस्त विभाग को भी खातेदारी अंकित करनी चाहिये थी जो कि राजस्व मंडल द्वारा बहुत से निर्णय दिये गये है कि सेटलमेंट विभाग एजटू रीपीट प्रिवियस इन्द्राज में इन दी रेवेन्यू रिकॉर्ड इस प्रकार राजस्व मंडल का यह भी निर्णय है कि एक बार किसी को खातेदारी देने के बाद बगैर सूने ही खातेदारी इंद्राज नहीं बदलने चाहिये जब तक राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की दफा 63 के अंतर्गत प्रावधान लागू नहीं होते हैं जिनके अनुसार भूमि एक्वायर होने या आवंटन रद्द करने पर ही खातेदारी समाप्त हो सकती है। लेकिन इन प्रावधानों के बगैर ही खातेदारी खारिज कर दी गई जो कानूनन खारिज नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो राजस्व विभाग दफा 82 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट रेफरेंस करके ही राजस्व मंडल के निर्णय होने पर ही इंद्राज को बदला जा सकता है। इस प्रकार बंदोबस्त विभाग को प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त तथ्यों पर विवेचन किया गया व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नंबर गत 115 जिसके हाल खसरा नंबर 316, 317, 327 व 328 पर मोहन विक्रेता की खातेदारी थी जिसको प्रार्थीगण ने सन् 1981 में क्रय की है। वह राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अंकित हो चुकी हैं। ऐसी दशा में बंदोबस्त विभाग पूर्व इंद्राज के अनुसार प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अंकित करने में कोई ऐतराज नहीं ठहरताह है। अतः **प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आराजी हाल खसरा नंबर 316, 317, 327 व 328 पर से मंदिर की खातेदारी से खारिज कर प्रार्थीगण चंदा, बिरदा व कैलाश पुत्र नाथू जाति जाट के नाम दर्ज किया जावे।**" उक्त आदेश दिनांक 17.10.1989 की पालना में जरिये भू-प्रबंध नामान्तरण संख्या 11 निर्णय दिनांक 02.01.1990 को वादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया जिसके उपरांत भी भू-प्रबंध कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री व रेफरेंस आदेश के बिना अविधिक रूप से वादग्रस्त आराजी को वादीगण की खातेदारी से हजफ कर क्षेत्राधिकार विहीन कार्यवाही करते हुये प्रतिवादी संख्या 02 के नाम गलत दर्ज कर दी जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंब 115 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा स्थित ग्राम महेशपुरा रावान तहसील आमेर, जिला जयपुर की भूमि सर्वे संवत 2010–23 में अविधिक रूप से साबिक राजस्व रिकॉर्ड सर्वे संवत् 1925 के तत्कालीन खसरा नंबर 74 के विपरित बिना किसी सक्षम आज्ञा व डिक्री के बिना क्षेत्राधिकार विहीन कार्यवाही करते हुये भू-प्रबंध विभाग के कर्मचारियों ने लिपिकीय त्रुटिवश अविधिक रूप से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी जो भू-प्रबंध विभाग द्वारा किया गया साबिक रिकॉर्ड के विपरित इंद्राज है जो सर्वे संवत 2010 से पूर्व कभी भी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज नहीं रही है, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम महेशपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर का संवत् 2010–23 से पूर्व संवत 1925 में पूर्व रिकॉर्ड बना था जिसमें कुल खसरे 98 थे जिसमें से वादग्रस्त आराजी संवत 1925 के खसरा नंबर 74 से संवत 2010–23 में खसरा नंबर 115 बने थे जिनको संवत् 1925 के खसरा नंबर 98 से बनना गलत अंकित किया गया है, संवत् 1925 का अंतिम खसरा नंबर 98 था तथा संवत् 2010–23 के खसरा नंबर 115 को राजस्व नक्शे में जिस स्थान पर अंकित किया गया है वो सर्वे संवत् 1925 के खसरा नंबर 74 से बने है जो दोनों नक्शों को सुपर इन्पोज करने से स्पष्ट होता है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादीगण को विधिक हक व अधिकार हासिल है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा व दुरूस्ती इंद्राज का इस प्रकार डिक्री करवाये कि वादग्रस्त

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:34:35 IST
Reason: SelfAttested

आराजी मूल सर्वे संवत् 1925 के खसरा नंबर 74 से बने साबिक सर्वे संवत् 2010–23 के तत्कालीन खसरा नंबर 115 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा पर व हाल सर्वे संवत् 2046–65 के हाल खसरा नंबर 316 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 317 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 327 रकबा 0.15 हैक्टेयर व खसरा नंबर 328 रकबा 1.86 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर स्थित ग्राम महेशपुरा, पटवार हल्का जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर पर साबिक रिकॉर्ड मूल सर्वे संवत् 1925 के तत्कालीन खसरा नंबर 74 के विपरित किये गये क्षेत्राधिकार विहीन व अविधिक इंद्राज को खारिज करवाये तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण का नाम हिस्सा बराबर खातेदारी इंद्राज करवाये। वादीगण वादग्रस्त आराजी पर विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1981 से साधिकार काबिज–काश्त चले आ रहे है। वर्तमान में वादीगण ने फसल बो–रखी है, पशुबाडे तथा आवासीय परिसर बना रखा है, जिसमें विद्युत कनेक्शन भी वादीगण के नाम चालू है। वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर मुताबिक विक्रय पत्र हिस्से अनुसार अनन्य कब्जा है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की ओर से जवाब पेश हुआ। जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी मुताबिक जमाबंदी ग्राम महेशपुरा के हाल खसरा नंबर 316, 317, 327, 328 कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर की खातेदारी वर्तमान में मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह की खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम महेशपुरा के हाल खसरा नंबर 316, 317, 327, 328 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर गत खसरा नंबर 115 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा से बने है। मुताबिक मिशन बंदोबस्त संवत् 2010–2023 के अनुसार उक्त गत खसरा नंबर 115 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा माफी मंदिर श्री नरसिंह जी पुजारी भूरा वल्द बाला कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के नाम होकर खुदकाश्त दर्ज है। उक्त आराजी को तत्कालीन राजस्वकर्मियों ने मिशलबंदोबस्त संवत 2010–2023 उपरांत की जमाबंदियों को तहरीर करते समय सीधे ही मंदिर का नाम विलोपित करते हुए मोहनलाल पि.मु. भूरा कौम ब्राहम्ण के नाम अंकित कर दी गई। जिसके उपरांत मोहनलाल पि.मु. भूरा द्वारा उक्त संपूर्ण आराजी को जरिये विक्रय पत्र प्रार्थीगण चंदा, बिरदा, कैलाश पि. नाथू जाति जाट को किये जाने पर जरिये विक्रय पत्र जरिये ना.स. 76 दिनांक 16.07.1981 से प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित कर दी गई थी। मुताबिक हाल मिशल बंदोबस्त संवत् 2046 के अनुसार दौराने भूप्रबंध कार्यवाही की त्रुटि के संज्ञान में आते ही उक्त आराजी को पुनः मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह जी की खातेदारी में अंकित किया गया जो कि आदिनांक तक बदस्तुर मंदिर के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक मिशल बंदोबस्त संवत् 2010–2023 अनुसार सर्वप्रथम उक्त आराजी माफी मंदिर श्री नरसिंह जी की ही खातेदारी में खुदकाश्त दर्ज थी जिसको बाद की जमाबंदियां तहरीर करते समय माफी मंदिर का नाम विलोपित कर वादीगण/हकपूर्वधारियों की खातेदारी में दर्ज कर दी गई थी। जिसे पुनः त्रुटि में सुधार करते हुए माफी मंदिर के नाम दर्ज कर दी गई है। तथा माफी मंदिर की भूमि का हस्तातंरण प्रार्थी के हक में हकपूर्वधारियों द्वारा [illegible] सक्षम अधिकारी के आदेश के हुआ है। राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 4[illegible] मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि [illegible] किसी [illegible] को काश्त करने से कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं यदि फिर भी इस प्रकार [illegible] हो गये है तो वह राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 45, 46 के प्रावधानों के विपरित व प्रांरभ शून्य है अतः प्रकरण में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा माफी मंदिर खुदकाश्त की भूमि में पुजारी/अन्तरिती का नाम हटाये जाने संबंधी निर्देशों की पालना में उक्त आराजी माफी मंदिर दर्ज की गई थी। अतः श्रीमान् जी प्रकरणागत आराजी मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह जी खुदकाश्त दर्ज रिकॉर्ड होने के कारण वादी द्वारा राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत प्रस्तुत उक्त उनवानी वाद खारिज योग्य है।

जवाब दावा पेश होने पर निम्न तनकीयात् कायम की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:34:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

प्रकरण संख्या – 22/2022
बउनवानी – चंदा बनाम राजस्थान सरकार वगै0
निर्णय दिनांक :– 27.03.2025

1. आया वादग्रस्त आराजी सर्वे संवत् 2010–23 के खसरा नंबर 115 के पूर्व संवत् 1925 में तत्कालीन खसरा नंबर 74 थे जिन्हें बिना किसी सक्षम आज्ञा व डिक्री के संवत् 2010–23 के सेटलमेंट में लिपिकीय त्रुटिवश साबिक रिकॉर्ड के विपरित माफी मंदिर की दर्ज कर दी जबकि पूर्व में ही भूमि मंदिर की नहीं थी जो क्षेत्राधिकार विहिन इंद्राज होने से काबिले दुरूस्त है ?
..............जिम्मे वादीगण

2. आया वादग्रस्त आराजी का इंद्राज दुरूस्त करवाकर वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है ?
..............जिम्मे वादीगण

3. आया वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 115 स्थित ग्राम महेशपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर को वादीगण ने खातेदार मोहनलाल से जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1981 द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था ?
..............जिम्मे वादीगण

4. आया वादीगण दिनांक 17.06.1981 से वादग्रस्त आराजी पर साधिकार काबिज काश्त है ?
..............जिम्मे वादीगण

5. आया हाल भू–प्रबंध सर्वे के दौरान हाल वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नंबर 316, 317, 327, 328 को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के माफी मंदिर श्री नृसिंह जी बेएतमाप पुजारी भूरा के नाम गलत दर्ज कर दी जिसे वादीगण ने आदेश दिनांक 17.10.1989 द्वारा दुरूस्त करवा लिया फिर पुनः बिना सुनवाई बिना आदेश माफी मंदिर के नाम विधिक प्रावधानों के विपरित दर्ज कर दी ?
..............जिम्मे वादीगण

6. आया वादीगण वादग्रस्त आरजी पर काबिज काश्त होने व सद्भाविक क्रेता होने से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?
..............जिम्मे वादीगण

7. आया राजस्वकर्मियों ने मिशल बंदोबस्त संवत् 2010–23 उपरोत की जमाबंदियां तहरीर करते समय सीधे ही मंदिर का नाम विलोपित करते हुए मोहनलाल पि0 मु0 भूरा के नाम अंकित कर दी ?
..............जिम्मे प्रतिवादीगण 1 व 2

8. आया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 की मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी अन्य को काश्त करने से कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त हो गये हो तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 45, 46 के प्रावधानों के विपरित व प्रारंभ से ही प्रभाव शुन्य है ?
..............जिम्मे प्रतिवादीगण 1 व 2

9. आया उक्त आराजी मूर्ति मंदिर [illegible] की [illegible] दर्ज रिकॉर्ड होने के कारण वाद वादी खारिज होने योग्य है ?
..............जिम्मे प्रतिवादीगण 1 व 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:34:35 IST
Reason: SelfAttested

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा पी.डब्ल्यू. 1 [illegible] पुत्र नाथू, पी.डब्ल्यू 2 कैलाश पुत्र नाथू, पी.डब्ल्यू 3 शिशपाल पुत्र बि[illegible] पी.डब्ल्यू 4 [illegible] पुत्र नाथू, पी.डब्ल्यू 5 कालूराम पुत्र मांगूराम लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया।

अभिलेख साक्ष्य में वादी द्वारा राजस्व जमाबंदी खाता संख्या 63 संवत् 2073–76 ग्राम महेशपुरा, नक्शा सर्वे संवत् 1925 सन् 1868, नक्शा संवत् 1925 का हिंदी अर्थ, खसरा संवत् 1925, खसरा संवत् 1925 का हिंदी अर्थ, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2010–23, मिसल बंदोबस्त संवत् 2010–23 खसरा संख्या 115, नक्शा सर्वे संवत् 2010–23 खसरा नंबर 115, जमाबंदी संवत् 2037, रजि. विक्रयपत्र दिनांक 17.06.1981, नामान्तकरण संख्या 76, निर्णय दिनांक 16.07.1981, आदेश न्यायालय ए.एस.ओ. आमेर, दिनांक 17.10.1989 मि. नं. 318/89, भू–प्रबंध नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 02.01.1990 दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये।

सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

वादीगण की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की जिसमें कथन किया कि राजस्व ग्राम महेशपुरा, पटवार हल्का जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 316 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 317 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 327 रकबा 0.15 हैक्टेयर व खसरा नंबर 328 रकबा 1.86 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर स्थित है। जो साबिक सर्वे संवत 2010–23 के साबिक खसरा नंबर 115 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा से बने है जो इस वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी है। साबिक खसरा नंबर 115 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में मोहनलाल पि.मु. भूरा कौम ब्राहम्ण के नाम अंतिम जमाबंदी में दर्ज थी, वादीगण ने खातेदार मोहनलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1981 द्वारा प्रतिफल राशि अदा कर वादग्रस्त आराजी को क्रय कर लिया।हाल भू–प्रबंध सर्वे में साबिक खसरा नंबर 115 से हाल खसरा नंबर 316, 317, 327 व 328 कायम किये गये है जो दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही क्षेत्राधिकार विहीन कार्यवाही करते हुये वादग्रस्त आराजी को बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री के मनमर्जी पूर्वक माफी मंदिर श्री नृसिंह जी बेएतमात पुजारी भूरा के नाम गलत दर्ज कर दी। जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा न्यायालय सहायक भू–प्रबंध अधिकारी आमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 318/1989 प्रस्तुत किया जो बाद जांच दस्तावेजात्, कब्जा, राजस्व रिकॉर्ड व न्यायिक प्रावधानों के तहत स्वीकार होकर दिनांक 17.10.1989 को आदेश हुआ कि "सबूत में प्रार्थीगण ने नकल खतौनी संवत 2021–2037 प्रस्तुत कि है नकल विक्रय पत्र की फोटोस्टेट प्रति व नामांकरण की फोटोस्टेट कॉपी, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2042–45 प्रस्तुत की है जिसमें यह भूमि भूरा पु. मोहनलाल के नाम खातेदारी अंकित है विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि अंकित थी व बंदोबस्त विभाग को भी खातेदारी अंकित करनी चाहिये थी जो कि राजस्व मंडल द्वारा बहुत से निर्णय दिये गये है कि सेटलमेंट विभाग एजटू रीपीट प्रिवियस इन्द्राज में इन दी रेवेन्यू रिकॉर्ड इस प्रकार राजस्व मंडल का यह भी निर्णय है कि एक बार किसी को खातेदारी देने के बाद बगैर सूने ही खातेदारी इंद्राज नहीं बदलने चाहिये जब तक राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की दफा 63 के अंतर्गत प्रावधान लागू नहीं होते हैं जिनके अनुसार भूमि एक्वायर होने या आवंटन रद्द करने पर ही खातेदारी समाप्त हो सकती है। लेकिन इन प्रावधानों के बगैर ही खातेदारी खारिज कर दी गई जो कानूनन खारिज नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो राजस्व विभाग दफा 82 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट रेफरेंस करके ही राजस्व मंडल के निर्णय होने पर ही इंद्राज को बदला जा सकता है। इस प्रकार बंदोबस्त विभाग को प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त तथ्यों पर विवेचन किया गया व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नंबर गत 115 जिसके हाल खसरा नंबर 316, 317, 327 व 328 पर मोहन विक्रेता की खातेदारी थी जिसको प्रार्थीगण ने सन् 1981 में क्रय की है। वह राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अंकित हो चुकी हैं। ऐसी दशा में बंदोबस्त विभाग पूर्व इंद्राज के अनुसार प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अंकित करने में कोई ऐतराज नहीं ठहरताह है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर आदेश दिया जाता है कि [illegible] हाल खसरा नंबर 316, 317, 327 व 328 पर से मंदिर की खातेदारी से खारिज कर प्रार्थी[illegible] चंदा, बिरदा व कैलाश पुत्र नाथू जाति जाट के नाम दर्ज किया जावे। उक्त आदेश दि[illegible] 17.10.1989 की पालना में जरिये भू–प्रबंध नामान्तरण संख्या 11 निर्णय दिनांक [illegible] को वादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया जिसके उपरांत भी [illegible] कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री व रेफरेंस आदेश के बिना अविधिक रूप से वादग्रस्त आराजी को वादीगण की खातेदारी से हजफ कर क्षेत्राधिकार विहीन कार्यवाही करते हुये प्रतिवादी संख्या 02 के नाम गलत दर्ज कर दी जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जवाबदावे में सर्वे संवत् 2010 के पूर्व के रिकॉर्ड के बारे में कोई अंकन नहीं किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तत साक्ष्य से कोई जिरह नहीं की गई है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वार साक्ष्य के बाबत् कोई सबूत भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:34:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

रूटिन में माफी मंदिर की भूमि होने का कथन कर एतराज दर्ज करवाया है। जो साबिक रिकॉर्ड व वास्तविक कब्जे काश्त के विपरित है। वादीगण ने अपने साक्ष्य के समर्थन में पी. डब्ल्यू. 1 चंदा पुत्र नाथू, पी.डब्ल्यू. 2 कैलाश पुत्र नाथू, पी.डब्ल्यू. 3 शिशपाल पुत्र बिरदा, पी. डब्ल्यू. 4 ग्यारसीला पुत्र नाथू, पी.डब्ल्यू. 5 कालूराम पुत्र मांगूराम के शपथ पत्र प्रस्तुत करवाकर अपने दस्तावेजात् को साबित किया है। उपरोक्त तथ्यों व विधिक आधारों पर यह प्रमाणित है कि संवत् 2010–23 के खसरा नंबर 115 की भूमि उससे पूर्व कभी भी माफी मंदिर की भूमि नहीं रही। जिससे साबिक रिकॉर्ड के विपरित बिना किसी सक्षम आदेश के मनमर्जी से खसरा नंबर 115 का इंद्राज मंदिर के नाम दर्ज किया जाना कानूनन क्षेत्राधिकारविहिन इंद्राज है। जिससे मंदिर को कोइ अधिकार प्राप्त नहीं हुए। जिससे वादीगण को उक्त खसरा संख्या 115 पर साबिक रिकॉर्ड के विपरित संवत् 2010–23 में भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा क्षेत्राधिकारविहीन रूप से किये गये इंद्राज को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः वादीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भू–प्रबंध विभाग द्वारा सर्वे संवत 2010–23 के दौरान तत्कालीन खसरा संख्या 115 ग्राम महेशपुरा, तहसील आमेर, हाल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर के बावत् साबिक रिकॉर्ड के विपरित क्षेत्राधिकारविहीन रूप से किये गये शून्य इंद्राज को निरस्त किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जाकर वादीगण को समान रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर हाल रास्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम बतौर खातेदार इंद्राज किया जावे।

हमने विद्वान वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है।

1. आया वादग्रस्त आराजी सर्वे संवत् 2010–23 के खसरा नंबर 115 के पूर्व संवत् 1925 में तत्कालीन खसरा नंबर 74 थे जिन्हें बिना किसी सक्षम आज्ञा व डिक्री के संवत् 2010–23 के सेटलमेंट में लिपिकीय त्रुटिवश साबिक रिकॉर्ड के विपरित माफी मंदिर की दर्ज कर दी जबकि पूर्व में ही भूमि मंदिर की नहीं थी जो क्षेत्राधिकार विहिन इंद्राज होने से काबिले दुरूस्त है ?

   ....जिम्मे वादीगण

2. आया वादग्रस्त आराजी का इंद्राज दुरूस्त करवाकर वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है ?

   ....जिम्मे वादीगण

3. आया वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 115 स्थित ग्राम महेशपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर को वादीगण ने खातेदार मोहनलाल से जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1981 द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था ?

   ....जिम्मे वादीगण

4. आया वादीगण दिनांक 17.06.1981 से वादग्रस्त आराजी पर साधिकार काबिज काश्त है ?

   ....जिम्मे वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:34:35 IST
Reason: SelfAttested

5. आया हाल भू–प्रबंध [illegible] आराजी हाल खसरा नंबर 316, 317, 327, 328 को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के माफी मंदिर श्री नृसिंह जी बेएतमाप पुजारी भू[illegible] दर्ज कर दी जिसे वादीगण ने आदेश दिनांक 17.10.1989 द्वारा दुरूस्त करवा लिया फिर पुनः बिना सुनवाई बिना आदेश माफी मंदिर के नाम विधिक प्रावधानों के विपरित दर्ज कर दी ?

   ....जिम्मे वादीगण

6. आया वादीगण वादग्रस्त आरजी पर काबिज काश्त होने व सद्भाविक क्रेता होने से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

   ....जिम्मे वादीगण

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 1 लगायत 6 एकसाथ निर्णित की जा रही है। प्रस्तुत दस्तावेजा अनुसार एवं जवाबदावे अनुसार मिशलबंदोबस्त संवत 2010–2023 उपरांत की जमाबंदियों को तहरीर करते समय सीधे ही मंदिर का नाम विलोपित करते हुए मोहनलाल पि.मु. भूरा कौम ब्राहम्ण के नाम अंकित कर दी गई। जिसके उपरांत मोहनलाल पि.मु. भूरा द्वारा उक्त संपूर्ण आराजी को जरिये विक्रय पत्र प्रार्थीगण चंदा, विरदा, कैलाश पि. नाथू जाति जाट को किये जाने पर जरिये विक्रय पत्र जरिये ना.स. 76 दिनांक 16.07.1981 से प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित कर दी गई थी। मुताबिक हाल मिशल बंदोबस्त संवत् 2046 के अनुसार दौराने भूप्रबंध कार्यवाही की त्रुटि के संज्ञान में आते ही उक्त आराजी को पुनः मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह जी की खातेदारी में अंकित किया गया जो कि आदिनांक तक बदस्तुर मंदिर के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड है जो कि सही है। राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 में मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी अन्य को काश्त करने से कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं यदि फिर भी इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हो गये है तो वह राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 45, 46 के प्रावधानों के विपरित व प्रांरभ शून्य है तहसीलदार द्वारा प्रकरण में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा माफी मंदिर खुदकाश्त की भूमि में पुजारी/अन्तरिती का नाम हटाये जाने संबंधी निर्देशों की पालना में उक्त आराजी माफी मंदिर दर्ज की गई है। जो कि उचित है। उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 लगायत 6 वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

7. आया राजस्वकर्मियों ने मिशल बंदोबस्त संवत् 2010–23 उपरोत की जमाबंदियां तहरीर करते समय सीधे ही मंदिर का नाम विलोपित करते हुए मोहनलाल पि0 मु0 भूरा के नाम अंकित कर दी ?

...............जिम्मे प्रतिवादीगण 1 व 2

8. आया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 की मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी अन्य को काश्त करने से कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त हो गये हो तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 45, 46 के प्रावधानों के विपरित व प्रारंभ से ही प्रभाव शुन्य है ?

...............जिम्मे प्रतिवादीगण 1 व 2

9. आया उक्त आराजी मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह जी की खुदकाश्त दर्ज रिकॉर्ड होने के कारण वाद वादी खारिज होने योग्य है ?

...............जिम्मे प्रतिवादीगण 1 व 2

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 7, 8 एवं 9 एकसाथ निर्णित की जा रही है। तनकी संख्या 1 लगायत 6 वादी के विरूद्व साबित होने से उक्त तनकीया प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

निर्णय [illegible]

तनकी संख्या 1 लगायत 6 वादी के विरूद्व निर्णित होने एवं तनकी संख्या [illegible] 9 प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। पक्षी डिक्री [illegible] अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:34:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –22/2022 वाद प्रस्तुति दिनांक –02.02.2022

1. चंदा पुत्र नाथू
2. कैलाश पुत्र नाथू
3. शिशुपाल पुत्र बिरदा पौत्र नाथू

समस्त 01 लगायत 03 जाति जाट, निवासी – ग्राम महेशपुरा रावान, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक, तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह जी वाके विराजमान ग्राम महेशपुरा रावान, तहसील आमेर, जिला जयपुर शाश्वत नाबालिग जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—— प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तनकी संख्या 1 लगायत 6 वादी के विरूद्ध निर्णित होने एवं तनकी संख्या 7 लगायत 9 प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 27.03.2025 को जारी किया ।

दस्तखत——

ओहदा——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	[illegible]	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये		स्टाम्प अर्जी [illegible]	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प [illegible]	2 रूपये	
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प [illegible] सबूत		
महन्ताना वकील			[illegible] वकील		
खर्चा गवाहन			[illegible] गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस [illegible]		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
नुतफरित	4 रूपये		मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:34:35 IST
Reason: SelfAttested